दिनांक–26.04.2017 को अपराह्न 3:00 बजे प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान, औरंगाबाद के भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:–

बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए:–

1. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना
2. श्री विनय कुमार राय, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
3. श्री शैलेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना
4. जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद
5. श्री पुनीत खुराना उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद

बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया:–

1. आई0डी0टी0आर0 के भवन निर्माण की प्रगति के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ की अभी भी पार्किंग स्टैंड, आट्रियम कवर, साइनेज लगाने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा कार्य की धीमी गति पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0 को निदेश दिया गया कि 31 मई तक किसी भी हालत में कार्य पूर्ण कर आई0डी0टी0आर0 को भवन विधिवत सौप दे। बैठक के दौरान ही प्रधान सचिव द्वारा दूरभाष से प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, जो प्रबंध निदेशक आई0डी0ए0 भी हैं, से कार्य की गति को तीव्र करने हेतु आई0डी0ए0 के संबंधित अभियंताओं को यथोचित निदेश देने के लिए अनुरोध किया गया।

   (अनुपालन– आई0डी0ए0)

2. समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि आई0डी0टी0आर0 के परिसर से कतिपय विद्युत पोल को हटाया जाना था, किन्तु आई0डी0ए0 के द्वारा समुचित राशि उपलब्ध करायें जाने के बावजुद कैम्पस से विद्युत पोल बाहर नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0 को निदेश दिया गया कि विद्युत पोल को कैम्पस से बाहर करा दिया जाय। कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से सम्पर्क कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे।

   (अनुपालन– आई0डी0ए0)

3. डी0टी0ओ0 औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि अभी तक विद्युत कनेक्शन हेतु राशि विद्युत कार्यालय में जमा नहीं की गई है। इसके लिए उन्होनें आवंटन मांगे जाने की बात बताई। राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस हेतु आवंटन उन्हे उपलब्ध करा दिया गया है।

   (अनुपालन–डी0टी0ओ0, औरंगाबाद)

4. मारूति सुजूकि इ0 लि0 के प्रतिनिधियों से संस्थान के द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को लेकर विस्तृत विमर्श किया गया। निदेश दिया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बिहार की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। मारूति सुजूकि ई0 लि0 के प्रतिनिधियों ने इसका विस्तृत विवरण एवं Power Point Presentation अगली बैठक में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

   (अनुपालन– उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0)

5. निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण के लिए जो भी प्रतिभागी आवेदन करना चाहते हो उनके लिए online सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फीस जमा करने की प्रक्रिया भी online होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मारूति सुजूकि इ0 लि0 को Best Automated system को अपनाने का सुझाव दिया गया।

   (अनुपालन– मारूति सुजूकि इ0 लि0)

6. निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागियों के चयन के क्रम में बिहार सरकार द्वारा प्रतिपादित आदर्श रोस्टर नियमावली को अवश्य संज्ञान में लिया जाय।

   (अनुपालन– उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0)

7. आई0डी0टी0आर0 के द्वारा की जानेवाली नियमित बैठकों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। मारूति सुजूकि इ0 लि0 के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी बैठक नियमित होती है। निदेश दिया गया कि यह बैठक नियमित आयोजित की जाए तथा उसकी कार्यवाही अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाय।

   (अनुपालन– उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0)

8. **निदेश दिया गया कि कार्यपालक** अभियंता, **आई0डी0ए0** एवं उप निदेशक, **आई0डी0टी0आर0 उप** सचिव परिवहन विभाग **के साथ आई0डी0टी0आर0** कैम्पस का निरीक्षण कर लें एवं काम **की प्रगति के बारे में अद्यतन** प्रतिवेदन से अवगत करायें।

(अनुपालन– उपसचिव, परिवहन विभाग/कार्यपालक अभियंता, **आई0डी0ए0/उपनिदेशक,आई0डी0टी0आर0)**

9. **आई0डी0टी0आर0 के उपनिदेशक श्री पुनीत खुराना द्वारा** उपस्कर **क्रय** हेतु राशि **की मांग की गई। इस क्रम** में **प्रशाखा** –3 **के प्रशाखा** पदाधिकारी श्रीमती नीता रॉय ने बताया कि उपस्कर क्रय हेतु उन्हे दो **बार में** रू0 96,90,280/– (छियानवे लाख नब्बे हजार दो सौ अस्सी रूपया) दिया जा चुका है। जब तक **उस राशि** का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता तब तक आगे की राशि देने में वित्त विभाग आपत्ति कर स**कता है।** इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त को निदेश दिया गया कि वे राशि विमुक्ति **के संबंध** में समीक्षा कर लेगें। श्री पुनीत खुराना को निदेश दिया गया कि जो भी क्रय किया जाय उसमें **बिहार** वित्तीय नियमावली का पूर्णतः पालन किया जाय।

(अनुपालन–राज्य परिवहन आयुक्त/उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक. पत्रांक–3/प्र0–बजट–1–30/2012 (पार्ट–1) 2469 पटना, दिनांक........3.15.17

E-mail

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक/ निदेशक (पी0आई0), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, **पूर्वी** गाँधी मैदान, पटना, बिहार/प्रधान सचिव के निजी सहायक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/जिला **पदाधिकारी**, औरंगाबाद/श्री पुनीत खुराना, उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद/जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।